महंगाई में थोड़ी राहत, औद्योगिक उत्पादन में सुस्ती

नई दिल्ली 13 फरवरी (ए)। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई.) के आधार पर महंगाई में गिरावट दर्ज की गई है। जारी आंकड़ों के अनुसार महंगाई में थोड़ी राहत तो औद्योगिक उत्पादन में सुस्ती दिखाई दी। जनवरी में खुदरा महंगाई दर 5.07 प्रतिशत रही जबकि दिसम्बर में यह 5.21 प्रतिशत दर्ज की गई थी। वहीं, पिछले साल जनवरी में खुदरा महंगाई का आंकड़ा 3.17 प्रतिशत दर्ज किया गया था।

खुदरा महंगाई में गिरावट की मुख्य वजह फूड इन्फ्लेशन यानी खाने-पीने की चीजों की कीमतों में गिरावट रही। खुदरा खाद्य महंगाई दर इस साल जनवरी में 4.70 प्रतिशत रही, जो दिसम्बर 2017 में 4.96 प्रतिशत थी। वहीं, दिसम्बर 2017 में आई.आई.पी. (औद्योगिक उत्पादन) ग्रोथ 7.1 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई, जबकि एक साल पहले समान महीने में यह आंकड़ा 2.4 प्रतिशत रहा था।

कैपिटल गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर में अच्छी ग्रोथ : दिसम्बर 2017 में मैन्यूफैक्चरिंग सैक्टर की ग्रोथ बढ़कर 8.4 प्रतिशत हो गई, जबकि एक साल पहले यह आंकड़ा 0.6 प्रतिशत रहा था। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की ग्रोथ 0.9 प्रतिशत रही है, जबकि एक साल पहले यानी दिसम्बर 2016 में इसमें 5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी। इन्फ्रास्ट्रक्चर गुड्स सैक्टर में 6.7 प्रतिशत की ग्रोथ रही, जबकि एक साल पहले यह आंकड़ा 5.5 प्रतिशत रहा था। इंटरमीडिएट गुड्स की ग्रोथ 6.2 प्रतिशत रही, जबकि एक साल पहले समान अवधि में ग्रोथ 2.1 प्रतिशत ही रही थी। दिसम्बर 2017 में कैपिटल गुड्स की ग्रोथ 16.4 प्रतिशत रही थी, जबकि एक साल पहले समान अवधि में 6.2 प्रतिशत की गिरावट रही थी।किसानों की इंकम नैगेटिव ग्रोथ की ओर नई

दिल्ली 2022 तक किसानों की इंकम डबल होगी या नहीं यह कहना अभी मुश्किल है लेकिन महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के उग्र आंदोलन से साफ हो गया है कि 'अन्नदाता' इस समय मुश्किल हालात में हैं। मोदी सरकार के 3 साल में उसकी इंकम और लाइफ स्टाइल में कोई खास बदलाव नहीं आया है।

सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि वर्ष 2014 से 2017 के बीच गेहूं, चावल और दलहन जैसी प्रमुख फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) महज 16 प्रतिशत तक बढ़ा है। वहीं, सब्जियों के थोक मूल्य 70 प्रतिशत तक घट गए हैं। इससे साफ है कि किसानों की इंकम नैगेटिव ग्रोथ की ओर है। नैशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन (एन.एस.एस.ओ.) के डाटा के अनुसार देश के 52 प्रतिशत किसान परिवारों पर कर्ज है। ऐसे में अगर इंकम नहीं बढ़ी तो आने वाले दिन उनके लिए और परेशानी वाले हो सकते हैं।

इंडियन काऊंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनैशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के सीनियर फैलो सिराज हुसैन ने बताया कि पिछले 2 साल से देश में सूखा था। इस साल फसल बेहतर हुई तो कीमतें तेजी से गिरी हैं। खासकर सब्जियों के दामों में 70 प्रतिशत तक पिछले 3 साल में गिरावट देखी गई है। किसान जो आर्थिक दबाव में है उसका समाधान सिर्फ गेहूं और चावल की एम.एस.पी. बढ़ाकर नहीं हो सकता है। इसके लिए मंडी स्तर पर बड़े पैमाने पर सुधार की जरूरत है जिससे किसान डायरैक्ट खरीदार को अपनी फसल दे सकें। इसमें राज्य हस्तक्षेप न करें।

गेहूं, धान की एम.एस.पी. 12 प्रतिशत तक बढ़ी: देश में किसानों की सुनिश्चित इंकम का प्रमुख भरोसा एम.एस.पी. के जरिए होता है। साथ ही यह उम्मीद की जाती है कि मार्कीट में भी किसान को उसकी फसल का इससे कम दाम नहीं मिलेगा। खास तौर पर गेहूं और धान ऐसी 2 फसलें हैं, जिन पर काफी हद तक किसान निर्भर हैं। इसके बावजूद पिछले 3 साल में सरकार ने एम.एस.पी. में 12 प्रतिशत तक का ही इजाफा किया है। एग्रो एक्सपर्ट देविंद्र शर्मा कहते हैं कि एम.एस.पी. निश्चित ही किसानों को सुनिश्चित आय का एक प्रमुख जरिया है। पंजाब और हरियाणा इसकी मिसाल हैं। हालांकि खेद की बात यह है कि देश के 6 प्रतिशत किसानों को ही एम.एस.पी. का फायदा मिल पा रहा है लेकिन हमें शेष किसानों को निश्चित आय देने का तरीका खोजना होगा।

अडानी फर्मों को डीआरआई की तरफ से दी गई क्लीन चिट गैर-कानूनी : कस्टम विभाग

मुम्बई 13 फरवरी (ए)। कस्टम विभाग के अनुसार डायरैक्टोरेट ऑफ रैवेन्यू इंटैलीजैंस (डी.आर.आई.) के फैसला देने वाले अधिकारी की तरफ से तकरीबन 400 करोड़ रुपए के साजो-सामान के मूल्यांकन केस के संबंध में डी.आर.आई. की तरफ से अडानी ग्रुप की 2 फर्मों के विरुद्ध सभी सुनवाइयों को रद्द करने का जो फैसला लिया गया है, वह बिल्कुल गलत और गैर-कानूनी है।

28 नवम्बर को मुम्बई में कस्टम, एक्साइज और सर्विस टैक्स अपील ट्रिब्यूनल (सी.ई.एस.टी.ए.टी.) के पास दायर की गई अपील संबंधी यह दावा किया गया है कि फैसले से संबंधित जो आदेश पास किए गए हैं उनमें कई खामियां पाई गई हैं और ये आदेश लापरवाही के साथ और बिना सोचे-समझे दिए गए हैं। यह भी आरोप लगाया गया है कि फैसला देने वाले अधिकारी ने बहुत जल्दी में और वास्तविकता को अनदेखा कर बिना सोचे-समझे फैसला दिया है।

22 अगस्त 2017 को डी.आर.आई. की एजुडिकेटिंग अथॉरिटी के.वी.एस. सिंह एजैंसी की तरफ से अडानी शक्ति महाराष्ट्र लिमिटेड (ए.पी.एम.एल.) और अडानी शक्ति राजस्थान लिमिटेड (ए.पी.आर.एल.) विरुद्ध लगाए सभी आरोपों को रद्द कर दिया था जिनमें कहा गया था कि शक्ति और इन्फ्रास्ट्रक्चर हैड्स अधीन निर्यात की वस्तुओं की कुल घोषित कीमत जीरो या 5 प्रतिशत से कम ड्यूटी बनती है और यह कुल 3,974.12 करोड़ रुपए तक बनती है।

आईआईएमए दुबई में खोलेगा अपना पहला विस्तार केंद्र

अहमदाबाद 13 फरवरी (ए)। देश का अग्रणी प्रबंधन संस्थान भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद (आईआईएम-ए) दुबई में अपना पहला विस्तार केंद्र (एक्सटेंशन केंद्र) शुरू करेगा। आईआईएमए ने इसके लिए यूएई के बीआरएस वेंचर्स के साथ वर्ल्ड गवर्न्मेंट समिट के दौरान सोमवार कदुबई में एक समझौते (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इसके केंद्र में शुरूआत में यूएई के लिए प्रासंगिक एक्जीक्यूटिव शिक्षण पाठ्यक्रम शामिल होगे। बाद में इनका विस्तार किया जाएगा। आईआईएम इस केंद्र के लिए शैक्षणिक और प्रशिक्षण संबंधी विशेषज्ञता उपलब्ध करायेगा जबकि बीआरएस इसके लिए आधारभूत संरचना समेत अन्य जरूरी सहयोग देगा।

प्रॉफिट के लिए अब अपने ही फेक प्रॉडक्ट्स बना रहे बड़े ब्रैंड्स

न्यूयॉर्क 13 फरवरी (ए)। अमेरिका के एक शहर में सड़क किनारे लगे मार्केट में लोग हफ्ते के अंत में मिल रहे सस्ते कपड़ों की शॉपिंग में लगे हैं। जींस, टी-शर्ट्स, हूडीज और बॉक्सर्स पर जो लोगो लगे हैं बड़े ब्रैंड्स के लोगोज से मिलते-जुलते ही हैं। फेमस ब्रैंड डीजल की स्पेलिंग कपड़ों पर डीजल लिखी है। ब्रैंड लोगो में स्पेलिंग थोड़ी अलग है लेकिन आप जितना देंगे आपको उतना ही मिलेगा। चौंकाने वाली बात यह है कि इस नकली डीजल जींस को भी असली कंपनी ने बनाया है। अमेरिका में यह नकली डीजल जींस करीब 4.5 हजार का है वहीं डीजल के जींस 13 हजार से शुरू होते हैं। डीजल जैसे बड़े ब्रैंड्स लोगो में थोड़ा अंतर कर नकली प्रॉडक्ट्स बेचने वालों को मार्केट से हटाना चाहते हैं। डीजल के फाउंडर रेंजो रॉसो ने बताया कि पिछले साल नकली डीजल अपैरल्स बेच रही 86 कंपनियों को ब्लॉक किया गया है। डीजल नाम से जो कपड़े बिक रहे हैं उन्हें भी डीजल ने ही बनाया है। रॉसो ने बताया, लोगोज के लिए यह चमत्कारिक समय है। कोई ब्रैंड अपनी नकल भी कर सकता है। अगर आप अपने नकली प्रॉडक्ट्स बनाने वालों को हरा नहीं सकते तो उनके साथ जुड़ तो सकते हैं। लॉजिक यह है कि फेक बनाओ और मुनाफा कमाओ। ऐसा नहीं है कि डीजल ने कोई नया प्रयोग किया है। नामी ब्रैंड गूची भी अपना फेक लोगो गूची बना चुका है। गजब बात यह है कि गूची ने इसके लिए डैपर डैन नाम से मशहूर डेनियल रे की मदद ली। डैपर डैन नकली प्रॉडक्ट्स डिजाइन करते हैं और दोनों के बीच पहले एक विवाद भी हो चुका था।

अमीरों के लिए स्टेटस सिंबल बने पर्सनल बॉडी गार्ड

नई दिल्ली 13 फरवरी (ए)। स्टेटस से समझौता नहीं करने वाले इंडियंस को कुछ मेड इन इंडिया एसेसरी खूब पसंद आती हैं। ये मॉल, सिनेमा हॉल, पार्टी, क्लब, वेडिंग, हॉलिडे पर हर जगह नजर आती हैं। खास एसेसरी के लिए आपको अधिक कीमत भी चुकानी पड़ती है। इसे जो चाहे कह लें, बॉडीगार्ड या बाउंसर या पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स, दिखावा करने वालों या जरूरतमंदों की एसेसरी लिस्ट में ये सबसे ऊपर हैं। इंडिया में इन दिनों निजी सुरक्षा लोगों के लिए समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली बात हो गई है। राजनेता और ऑफिशियल वीआईपी अपनी एक्स, वाई, जेड क्लास सिक्योरिटी के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं।

बिल्डरों ने निवेशकों का पैसा किया इधर-उधर, मामला दर्ज

नई दिल्ली 13 फरवरी (ए)। नोएडा के विभिन्न सैक्टरों में आम आदमी के घर के सपने को साकार करके देने वाले 11 बिल्डरों की ऑडिट रिपोर्ट में बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर प्राधिकरण ने नोएडा के 14 बिल्डरों के ऑडिट जांच की थी, जिसके लिए प्राधिकरण ने एम.एन.सी. कम्पनी करी एंड ब्राऊन इंडिया से अनुबंध किया था। कम्पनी ने अपनी ऑडिट पूरी कर रिपोर्ट प्राधिकरण को सौंप दी है। इसमें ऐसे 11 बिल्डरों की गड़बड़ी सामने आई है, जिन्होंने बायर्स का पैसा प्रोजैक्ट में न लगाकर डायवर्ट कर अन्य प्रोजैक्ट्स में लगा दिया। इसके चलते प्राधिकरण ने इन बिल्डरों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है। प्राधिकरण द्वारा पहले चरण में 14 बिल्डर के 36,000 फ्लैट का ऑडिट कराया गया है। कम्पनी ने ऑडिट रिपोर्ट करीब 45 दिनों में प्राधिकरण के अधिकारियों के समक्ष पेश की है। इसमें 11 बिल्डरों द्वारा प्रोजैक्ट का पैसा कहीं और डायवर्ट करने की बात सामने आई है। साथ ही इन बिल्डरों ने प्राधिकरण की बकाया राशि भी वर्तमान तक जमा नहीं कराई है, जिसके चलते प्राधिकरण द्वारा इन सभी बिल्डरों को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में स्पष्टीकरण मांगा है। प्राधिकरण सूत्रों के मुताबिक जिन बिल्डरों को नोटिस जारी किया गया है उन्होंने करीब 1500 करोड़ रुपए की हेराफेरी की है, जिसके चलते बायर्स द्वारा पैसा जमा करने के बाद भी उन्हें घर नहीं मिल सका है। वहीं प्राधिकरण के अधिकारियों की मानें तो अभी और भी बिल्डरों का ऑडिट बाकी कार्रवाई की जाएगी।

मुखौटा कंपनियों पर कार्रवाई, सरकार ने आयकर रिटर्न फाइल करने में छूट समाप्त

नई दिल्ली 13 फरवरी (ए)। सरकार ने मुखौटा कंपनियों पर कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए अगले वित्त वर्ष से 3,000 रुपए तक की कर देनदारी वाली कंपनियों के लिए उपलब्ध छूट को हटाने का प्रस्ताव किया है। वित्त वर्ष 2018-19 के बजट में रिटर्न दाखिल करने में विफल रहने के मामले में अभियोजन से संबंधित आयकर कानून के प्रावधान को युक्तिसंगत बनाया गया है। एक अप्रैल से शुरू वित्त वर्ष के लिए आईटी रिटर्न फाइल करने में किसी प्रकार की चूक को लेकर उस अवधि के दौरान कंपनी के प्रबंध निदेशक या प्रभारी निदेशक के खिलाफ अभियोजन चलाया जा सकता है। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ''आयकर विभाग इन कंपनियों के निवेश पर गौर करेगा। साथ ही अब उन कंपनियों पर ध्यान दिया जाएगा जो कम लाभ दिखाते हैं।

देश का कच्चा इस्पात उत्पादन 0.4 प्रतिशत गिरकर 87.7 लाख टन

नई दिल्ली 13 फरवरी (ए)। देश का कच्चा इस्पात उत्पादन जनवरी 2018 में 0.4 प्रतिशत गिरकर 87.7 लाख टन रहा। आधिकारिक आंकड़ों से इसकी जानकारी हुयी। जनवरी 2017 में कच्चे इस्पात का उत्पादन 88.1 लाख टन था। इस बार जनवरी में इसके एक मास पहले के उत्पादन से 0.2 प्रतिशत की कमी रही, हालांकि, वित्त वर्ष 2017-18 की अप्रैल-जनवरी अवधि में कच्चे इस्पात का कुल उत्पादन 4.2 प्रतिशत बढ़कर 8.44 करोड़ टन रहा। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में उत्पादन 8.10 करोड़ टन था। इस्पात मंत्रालय के अधीन आने वाली संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी) की ओर से जारी रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि तैयार इस्पात का समग्र उत्पादन जनवरी 2018 में

95.4 लाख टन रहा, जो कि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में हुए उत्पादन से 5.7 प्रतिशत अधिक है। चीन और जापान के बाद भारत कच्चे इस्पात का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। केंद्रीय इस्पात मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा, 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर के बीच भारत ने 10 करोड़ टन के स्तर पर पार करते हुये 10.1 करोड़ टन इस्पात का उत्पादन किया। भारत का जापान को पछाड़कर दूसरा स्थान हासिल करने का लक्ष्य है।

दिल के मरीजों के लिए राहत की खबर कोरोनरी स्टेंट की कीमतों में हुआ बदलाव

नई दिल्ली 13 फरवरी (ए)। दिल के मरीजों का इलाज पहले के मुकाबले अब और भी सस्ता हो गया है। दवा मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने कोरोनरी स्टेंट की कीमत को 85 फीसदी तक कम किए जाने के लगभग एक साल बाद आज इसकी अधिकतम कीमत में संशोधन किया। इसी के साथ दवा छोड़ने वाले स्टेंट की कीमत में भी बदलाव किया गया है।

ये हैं नई कीमतें

प्राधिकरण ने एक अधिसूचना में बताया कि धातु के बने कोरोनरी स्टेंट की कीमत को 7,400 रुपए से बढ़ाकर 7,660 रुपए किया गया है। वहीं ड्रग इलूटिंग और बायोडिग्रेडेबल और

बायोरिसॉर्बेबिल कोरोनरी स्टेंट्स की अधिकतम कीमत घटाकर 27890 रुपए तय की है। इसमें जीएसटी शामिल नहीं है। इससे पहले ड्रग इलूटिंग स्टेंट (डीईएस) और बायोरिसॉर्बेबिल वस्क्युलर स्काफोल्ड (बीवीएस) का दाम 30180 रुपए था। प्राधिकरण के अनुसार बदली हुई कीमतें आज से प्रभावी होंगी और यह पुराने स्टॉक में पड़े स्टेंट पर भी लागू होंगी। उल्लेखनीय है कि कोरोनरी स्टेंट हृदय को खून पहुंचाने वाली धमनियों में वसा के जमाव को हटाकर जगह बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कैपिंग पर साल भर बाद रिव्यू 13 बार कैपिंग की गई थी। कैपिंग के एक साल पूरे होने पर इसका रिव्यू किया गया। एनपीपीए ने इसको लेकर 5 फरवरी को बैठक की थी लेकिन उस दिन कोई फैसला नहीं हो सका था। इसके बाद लंबी मीटिंग हुई, सभी स्टेकहोल्डर की राय ली गई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बाद सोमवार को नए दाम तय किए गए।

घाटे में चल रही कंपनियों को डीलिस्ट कराने के बाद बेच सकती है सरकार

नई दिल्ली 13 फरवरी (ए)। सरकार घाटे में चल रही अपनी कुछ कंपनियों को शेयर बाजार से डीलिस्ट करा सकती है। उसका मानना है कि इन कंपनियों की स्ट्रैटेजिक सेल से ज्यादा कीमत मिल सकती है। पब्लिक सेक्टर की कुछ कंपनियों के शेयरों में नाममात्र की ट्रेडिंग हो रही है और उनमें सरकार को अपनी हिस्सेदारी घटाकर 75त्न तक लाने में दिक्कत होगी। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि तीन या चार सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज की डीलिस्टिंग पर विचार किया रहा है, लेकिन उन्होंने उनके नाम बताने से इनकार कर दिया। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने सभी लिस्टेड कंपनियों के लिए मिनिमम 25 पर्सेंट पब्लिक शेयरहोल्डिंग जरूरी कर दी है। सरकारी कंपनियों के लिए इसकी डेडलाइन इस साल अगस्त में तय की गई है।

लुधियाना की 20 फर्नेस इकाइयां जीएसटी विभाग की राडार पर

लुधियाना 13 फरवरी (ए)। जी.एस.टी. विभाग ने पिछले दिनों जो छापेमारी की है उसके आधार पर लुधियाना की 20 प्रमुख फर्नेस इकाइयां उसकी राडार पर आ गई हैं। इन्होंने जाली बिल पर स्क्रैप की परचेज की हुई है। इसकी जांच में विभाग जुट गया है और उन्हें एक-एक बिल पर स्पष्टीकरण देने के लिए नोटिस तैयार करने शुरू कर दिए हैं।

जी.एस.टी. बिल घोटाला दलदल की तरह हो गया है। इसकी जांच में विभाग जितना अंदर जा रहा है उसे आगे ही आगे घोटालों के कई रास्ते मिलते जा रहे हैं। जिन लोगों से फर्नेस इकाइयों ने बिल खरीदे हैं, उन्होंने माल किसी और को बेचा और बिल किसी और को दिए हैं, यानी मूवमैंट ऑफ गुड्स का कोई सबूत नहीं है। फर्नेस इकाइयों ने भी इन बिलों को आगे 10 प्रतिशत कीमत पर स्टील मिलों को बेचा है। स्टील मिलों ने भी इन बिलों को ट्रेडर्स को बेचा। स्क्रैप पर 18 फीसदी जी.एस.टी. है। जांच में पता चला है कि जिन लोगों से फर्नेस इकाइयों ने बिल खरीदे हैं, उन्होंने इन्हें 2 से 4 प्रतिशत की दर पर बेचा है। इन बिलों की खरीद-फरोख्त करोड़ों रुपए में हुई है। जी.एस.टी. नियम के मुताबिक फर्नेस इकाइयों ने बिल पर जो माल खरीदा होता है उसका बिल वहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि उस बिल को किताबों में उत्पादन की लागत में दिखाना होता है। आगे स्क्रैप से जब इंगट बनाकर बेचा जाता है तो फर्नेस इकाइयां स्टील मिलों को नया बिल बनाकर देती हैं।

बिटकॉइन एक्सचेंजों ने किया ट्रांजैक्शंस का रियल टाइम रिकॉर्ड रखने का वादा

नई दिल्ली13 फरवरी (ए)। वित्त मंत्री के क्रिप्टोकरंसी को गैर-कानूनी बताए जाने के बाद बिटकॉइन एक्सचेंज ने यूजर्स की एक सेंट्रल रिपॉजिटरी बनाने का प्रस्ताव दिया है, जिससे ट्रांजैक्शंस का रियल टाइम में रिकॉर्ड तैयार होगा। इससे वर्चुअल करंसी खरीदने और बेचने वालों का पता आधार आईडी या परमानेंट अकाउंट नंबर के जरिए लगाया जा सकेगा। इससे यह जानकारी भी मिलेगी कि किसी यूजर के पास कितनी क्रिप्टोकरंसी है। इससे क्रिप्टोकरंसी की वैल्यू, इंडिविजुअल यूजर्स के इसकी खरीद-बिक्री का पैटर्न उपलब्ध होगा। यह जानकारी इंडस्ट्री के एक बड़े अधिकारी ने दी। इंटरनेट ऐंड मोबाइल असोसिएशन ऑफ इंडिया में ब्लॉकचेन और क्रिप्टोकरंसी कमिटी (बीएसीसी) के हेड अजीत खुराना ने बताया, हम क्रिप्टोकरंसी मामलों को देखने वाली सरकारी समिति के सामने इस प्रस्ताव को पेश करने की योजना बना रहे हैं। बीएससीसी में सात क्रिप्टोकरंसी एक्सचेंज मेंबर हैं।

खुराना ने बताया कि बीएससीसी का इरादा प्रस्ताव को सरकारी समिति के सामने पेश करने का है, जिसके हेड आर्थिक मामलों के सचिव एस सी गर्ग हैं। उन्होंने बताया कि इसी हफ्ते प्रस्ताव पेश किया जाएगा। वहीं, क्रिप्टोकरंसी पर सरकारी समिति के सुझाव मार्च तक मिलने की उम्मीद है। सरकार क्रिप्टोकरंसी ट्रेड के लिए एक रेग्युलेटर भी

अपॉइंट कर सकती है। 1 फरवरी को संसद में सालाना बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि सरकार क्रिप्टो एसेट्स का इस्तेमाल बंद करवाना चाहती है क्योंकि यह गैरकानूनी है। इससे पहले सरकार और रिजर्व बैंक ने लोगों को क्रिप्टोकरंसी में ट्रेडिंग को लेकर आगाह किया था।

टैक्स अथॉरिटीज ने इन्वेस्टर्स को लगभग एक लाख नोटिस भेजकर उनसे क्रिप्टोकरंसी ट्रेडिंग पर कमाए गए प्रॉफिट की जानकारी देने और लागू टैक्स चुकाने को भी कहा है। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का अनुमान है कि 2017 में बिटकॉइन में लगभग 10,000 करोड़ रुपये की ट्रेडिंग हुई और लगभग 50 लाख भारतीय क्रिप्टोकरंसी में सक्रियता से ट्रेडिंग कर रहे हैं।

अभी क्रिप्टोकरंसी एक्सचेंज ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए यूजर्स से पेन और आधार नंबर के साथ ही बैंक अकाउंट की डिटेल्स जमा करने के लिए कहते हैं। सभी ट्रांजैक्शंस से मिलने वाली रकम इसी अकाउंट में जमा होती है। हालांकि, एक्सचेंजों के बीच डेटा को शेयर नहीं किया जाता। बिटकॉइन एक्सचेंज जेबपे के हेड, निश्चिंत सांघवी ने बताया, वित्त मंत्री अरुण जेटली के अपने बजट भाषण में क्रिप्टोकरंसी को अवैध बताने पर कुछ समय के लिए घबराहट में बिकवाली हुई थी, लेकिन अब स्थिति सामान्य हो गई है। जेबपे केवायसी (नो योर कस्टमर) नॉर्म्स के साथ ही बैंकिंग सेक्टर के लिए निर्धारित एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेग्युलेशंस का भी पालन करता है। सांघवी ने कहा, %हम खुद रेग्युलेशन के साथ चलने वाली इंडस्ट्री बनने के लिए प्रत्येक कोशिश कर रहे हैं। डेटा पूलिंग शुरू होने के बाद कस्टमर की डिटेल्स की पुष्टि तेजी से होगी।